597

न्यायालय श्री मान राजस्व मंडल ग्वालियर मध्य प्रदेश

प्र0 क्र0 /2013 रिवीजन माल R 2614- PBR/13

रोशनसिंह पुत्र सनमानसिंह जाति राजपूत
निवासी ग्राम बनवासा तेहसील गंजबासोदा
जिला विदिशा म0प्र0 ------रिवीजनकर्ता

बनाम

1 :- लाखनसिंह पुत्र सनमानसिंह राजपूत
निवासी ग्राम बनवासा तेह0 गंज बासोदा

2 :- समन्तबाई वेवा सनमानसिंह राजपूत

3 :- फूलसिंह पुत्र सनमानसिंह जाति राजपूत

4 :- पृथ्वीसिंह पुत्र सनमानसिंह जाति राजपूत

5 :- गप्पूसिंह पुत्र सनमानसिंह जाति राजपूत

6 :- सुरजनसिंह पुत्र सनमानसिंह जाति राजपूत

7 :- धानसिंह पुत्र गंगाराम जाति राजपूत
सभी निवासीगण ग्राम बनवासा तेहसील गंज
बासोदा जिला विदिशा म0प्र0 --प्रति0रिवी0

6/7/13

6/7/13

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0संहिता खिलाफ आदेश तारीख 25/6/2013 न्यायालय श्री मान अनुविभागीय अधिकारी महोदय गंज बासोदा प्र0 क्र0 183/अपील 2011-12 बमामले लाखनसिंह बनाम रोशनसिंह आदि -

=== ====================================

श्री मान महोदय

रिवीजन के कारण इस प्रकार है कि ग्राम बनवासा की आराजी क्र0 4 ,5, 38, 134, 138/2, 149, 159, 167, 170, 171, कुल रकबा - 5.482हे0 का रिवीजनकर्ता वाहमी विभाजन अनुसार भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी है वाहमी विभाजन रिस्पा0 क्र0 1 की सहमति से दिनांक

XXIX(a)-BR(H)-11

597

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2614-पीबीआर/13 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	आवेदक की ओर, से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	